

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवाँ प्रतिवेदन

§29 दिसम्बर, 1997 को प्रस्तुत§

DEIHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTEENTH REPORT

(PRESENTED ON 29TH DECEMBER, 1997)

বিলা বিধান মাম মাঘিবালয়, বিল্লী
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान समा

कार्य गंत्रणा समिति

∦सोलहवां प्रतिवेदन ३

१29 • 12 • 1997 को प्रस्तुत १

समिति का गठन

1 ·	श्री चरती लाल गोयल,	
	माननीय अध्यक्ष	सभापति
2 •	श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधि,न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री	सदस्य
3 ·	श्री राम भज	सदस्य
4 •	श्री देवेन्द्र सिंह	सदस्य
5 ·	श्री गौरी शंकर भारदाज	सदस्य
6 •	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य
7 ·	श्री शोएव इकबाल	सदस्य

सिववालय

1 •	श्री पी पन गुप्ता	सचिव
2 •	श्री एस के शर्मा	विशेष सचिव
3.	श्री पी सी अग्रवाल	उप सचिव
4 -	श्री के पल को हली	समिति अधिकारी

सभापित ने विधायी कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे विधान सभा के आगामी सत्र में लिये जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में सूचित करें । परिवहन एवं विधायी कार्य मंत्री ने सिमिति को सूचित किया कि निम्निलिखित विधायी प्रस्तावों को आगामी सत्र में विचारण एवं पारण के लिये पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है :-

- 1 · दिल्ली तिब्बिया कॉलेज हुटेक ओवरहूँ विधेयक, 1997
- 2. दिल्ली जल परिषद् विधेयक, 1997
- 3 · दिल्ली विधान सभा सदस्य वेतन एवं भत्ते ﴿ संशोधन ﴿ विधेयक, 1997

दिल्ली बाटर बोर्ड विधेयक के लिये ढाई घंटे एवं क्रम संख्या- 2 एवं 3 पर स्थित प्रत्येक विधेयक के लिये आधे घटे का सदन का समय आबंटित करने का निर्णय लिया ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के संबंध में समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इसको वृहस्पतिवार, 1 जनवरी, 1998 को सूचीबद किया जाये एवं इस पर चर्चा के लिये अस्थायी रूप से एक घंटे का समय आबंटित किया ।

समिति ने निम्नलिखित विषयों को अल्पकालिक चर्चा करने की अनुमति दी:-

- अनियमितताएं, विजली की व्यापक चोरी एवं उपभोक्ताओं को बढ़ा-चढ़ाकर बिल 1. भेजने के संबंध में ।
- दिल्ली में परिवहन व्यवस्था । 2 .
- दिल्ली के अस्पतालों की दुर्दशा के परिणामस्वरूप लोगों को हो रही परेशानियों 3. के संबंध में ।

समिति ने सामान्य तौर पर केवल निम्नलिखित मामलों में निधन संबंधी उल्लेख उठाने की अनुमति दी :-

- दिल्ली से निर्वाचित संसद सदस्य १ वर्तमान एवं पूर्व दोनों १ 1 .
- विधान सभा/महानगर परिषद्/1952-असैम्बली के वर्तमान/पूर्व सदस्य । 2.
- लोगों की दृष्टि में अति सम्मानित राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तित्व 3.
- निगम पार्षद 4 .

समिति ने श्री राम भज एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री गौरी शंकर भारदाज को सदन में सीमीत का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

दिल्ली. दिसम्बर, 1997

सभापति कार्य मंत्रषा समिति

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(SIXTEENTH REPORT)

(Presented on 29.12.1997)

CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta, Minister of Law, Justice & Legislative Affairs	Member
3.	Shri Ram Bhaj	Member
4.	Shri Devendra Singh	Member
5.	Shri Gauri Shankar Bhardwaj	Member
6.	Shri Mahinder Singh Saathi	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Spl. Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

The Chairman requested the Minister to spell out the Government business likely to be taken up in the ensuing session of the Assembly. The Minister of Transport and Legislative Affairs informed the Committee that the following legislative proposals are likely to be introduced in the ensuing session for consideration and passing:

- 1. Delhi Tibbia College (Takeover) Bill, 1997.
- 2. Delhi Water Board Bill, 1997
- Delhi MLAs Salaries & Allowances (Amendment) Bill, 1997.

The Committee decided that tentatively 2½ hours of the time of the House may be devoted to the Water Board Bill and half-an-hour for each of the Bills at Sl. No. 2 and 3.

As regards the report of the Privileges Committee, the Committee desired that this may be listed for Thursday, the 1st January, 1998 and tentatively allotted one hour for discussion thereon.

The Committee approved the following subjects for Short Duration Discussion:

- 1. DISCUSSION ON IRREGULARITIES AND RAMPANT THEFT OF ELECTRICITY AND ISSUE OF INFLATED BILLS TO CONSUMERS.
- 2. TRANSPORT SYSTEM IN DELHI.
- 3. THE SORRY STATE OF AFFAIRS IN THE GOVERNMENT HOSPITALS IN DELHI RESULTING IN THE SUFFERINGS OF THE PEOPLE.

The Committee approved that as a general rule, obituary references may be made only in the following cases:

- 1. Members of Parliament elected from Delhi (both sitting and former).
- 2. Sitting and former members of Vidhan Sabha/Metropolitan Council/1952 Assembly.

- 3. Outstanding high personages of national eminence commanding great respect in the eyes of people.
- 4. Municipal Councillors.

Committee authorised Shri Ram Bhaj and in his absence Shri Gauri Shankar Bhardwaj to present the Report of the Committee to the House.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN
Business Advisory Committee

.C.P.

Delhi,

December, 1997